

## प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के समक्ष रखा जा सके। यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश, 2014 और लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2020 के अनुसार तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में 2017-2022 की अवधि को सम्मिलित करते हुए दिल्ली जल बोर्ड के कामकाज की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन में शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ-साथ उनके क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त सहयोग के लिए आभार प्रकट करती है।